

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक पा० 7(2)राज/वाद/18पार्ट-ग

जयपुर, दिनांक ०९-११- २०२१

:: आदेश ::

प्रशासनिक सुधार(ग्रुप-3)विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक पा० १(१)प्र.सु./अनु.-३/२०२०-
 NJRs जयपुर दिनांक २०.१०.२०२१ एवं परिपत्र क्रमांक पा० १(१)प्र.सु./अनु.-३/२०२० पार्ट जयपुर
 दिनांक १८.०५.२०२० में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, २०१३ के अनुसूचित
 जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित
 कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, २०१८ की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये चयनित अभ्यर्थियों में से
 कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से प्राप्त ८६ अभ्यर्थियों को विभाग
 आवंटन कर इस विभाग को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने हेतु ०४ अभ्यर्थियों को आवंटित
 करने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा
 नियम, १९९९ के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्मिक विभाग की
 अधिसूचना दिनांक २०.०१.२००६ एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक १५(१)वित्त/
 नियम/२०१७ दिनांक ३०.१०.२०१७ एवं ०९.१२.२०१७ के अनुसार ०२ वर्ष की अवधि के लिए
 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक १४,६००/- रूपये
 प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स के लेवल संख्या-५
 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति किया जाकर, इनका पदस्थापन
 इनके नाम के सम्मुख अंकित इस विभाग के अधीन कार्यालय में एतद्वारा किया जाता है:-

क्र स	मेरिट नॉ	रोल नॉ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	चयनित श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय
१	२०४४२	१४१४८८४	अमित कुमार बैरवा	हर प्रसाद बैरवा	२५.११.१९८८	एस.सी.	एस.सी. (आरक्षित सूची)	शासन सचिव,विधि (वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
२	२०४४५	१८००२३९	पंकज चावला	ताराचन्द	२४.०५.१९९२	एस.सी.	एस.सी. (आरक्षित सूची)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सरदारशहर जिला घूरू।
३	२०४५२	१७८४७९२	लोकेश वर्मा	चन्द्र शेखर वर्मा	१२.०८.१९९२	एस.सी.	एस.सी. (आरक्षित सूची)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक महवा जिला दौसा।
४	२५१५०	२१६११३१	विश्राम मीना	नाथू लाल मीना	०२.०९.१९९१	एस.टी.	एस.टी. (आरक्षित सूची)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक निवाई जिला टोंक।

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:-

- परिवीक्षाकाल अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.१२(६) एफ.डी. /रूल्स/०५ दिनांक १३.०३.०६, एफ ६(६)एफडी/रूल्स/२००५ दिनांक १३.०३.२००६, एफ. १(२)एफडी/रूल्स/२००६ दिनांक १३.०३.२००६ एवं एफ.१३ (१)एफडी /रूल्स/२००३ दिनांक १३.०३.२००६ में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी।
- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ १५(१)एफडी/रूल्स/२०१७, दिनांक ३०.१०.१७ एवं ०९.१२.१७ के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम २०१७ के अनुसूची-४ के नियम १६ के संबंधित लेवल L-५ के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रु. १४,६००/- प्रतिमाह की दर से देय होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में

की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।

3. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक की नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची-प्रथम, पार्ट-बी के नियम-5(vi) और (vii) के पे-मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-5 के सेल नं0-1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. राज्य सरकार के परिपत्र पं.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इनके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. उक्त नियुक्तियों पर वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांकएफ.6(5)वित्त/नियम/99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।
7. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
8. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नहीं होंगे।
9. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
10. अभ्यर्थी को परिवीक्षा काल में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
11. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
12. आदेश जारी होने की दिनांक से 03 सप्ताह के अन्दर उपरोक्त अभ्यर्थी को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 03 सप्ताह में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें, कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
13. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
16. अभ्यर्थी के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का अधिकार राज्य सरकार/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, अर्थात् नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी।
17. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
18. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण-पत्र सत्य हैं।

- प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
19. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
 20. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
 21. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्मालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

SD
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020NJR संघर्षित जयपुर, दिनांक 20.10.2021 के कम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाकर संबंधित कार्यालय में उपरिथित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर, इस विभाग को अवगत करावें साथ ही लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
5. संबंधित अपर लोक अभियोजककरण को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना संबंधित जिला कलक्टर को तत्काल प्रेषित करते हुये, इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग।
7. संबंधित कोषाधिकारी।
8. सहायक लेखाधिकारी—प्रथम, वादकरण।
9. संबंधित अभ्यर्थी.....।
10. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

(हिमांकनी गोड) 21
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण